प्रेस नोट

जम्मू कश्मीर के विस्थापित मतदाताओं हेतु सुविधा

भारत निर्वाचन आयेाग द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन हेतु जम्मू कश्मीर से विस्थापित मतदाताओं को विशेष सुविधा प्रदान की गई है जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर से विस्थापित मतदाता जिनका नाम जम्मू कश्मीर की संसदीय क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में वर्तमान में दर्ज है तथा वे भारत में अन्य किसी स्थान पर निवासरत है।

ऐसे मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग या तो पोस्टल बैलेट के माध्यम से या आयोग द्वारा निर्धारित स्थान जम्मू (21 मतदान केन्द्र), उधमपुर (1 मतदान केन्द्र) एवं दिल्ली (4 मतदान केन्द्र) में जाकर कर सकेंगे। इसके लियें मतदाता को अपने नजदीकी ईआरओ कार्यालय जाकर M फॉर्म, स्थानीय निवास का प्रमाण एवं जम्मू कश्मीर के रेसिडेंशियल कमीश्नर द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ईआरओ उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर ईआरओ नेट में संबंधित मतदाता का पंजीकरण करेगा साथ ही उक्त दस्तावेजों की प्रति भी अपलोड करेंगे। मतदाताओं को उसकी सुविधा अनुसार पोस्टल बैलेट या निर्धारित केन्द्रों में उपस्थित होकर मतदान करने की सुविधा प्राप्त होगी।

प्रेस नोट

दृष्टिबाधित मतदाताओं हेतु सुविधाएं

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों की मतदान प्रक्रिया में सक्रिय एवं रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु दिव्यांग मतदाताओं के लिये ब्रेल सुविधाओं वाली मतदाता पर्ची, ब्रेल मतदाता पहचान–पत्र तथा वोटर गाईड तैयार कराने के निर्देश दिये है, जिसके अनुपालन में लोकसभा निर्वाचन 2019 में मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे दृष्टिबाधित मतदाता जो ब्रेल लिपि पढ़ सकते है, के लिये ब्रेल लिपि में मतदाता पर्ची, फोटो परिचय–पत्र तथा वोटर गाईड तैयार की जा रही है। जिन्हें जिला में बीएलओं के माध्यम से वितरित कराया जायेगा।